प्रेस नोट
दिनांक 30.01.2024, थाना धानेपुर,
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में धानेपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 30.01.2024 को थाना धानेपुर के उ0नि0 अवधेश यादव मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मौर्या इलेक्ट्रानिक बहद ग्राम बग्गीरोड़ के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ के साथ खड़ा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम सुन्दर गुप्ता नि0 ग्राम करमडीह अलावल देवरिया बग्गीरोड थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–30/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 600 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अवधेश यादव।
02. का0 अनूप यादव।
03. का0 सुरेश यादव।

प्रेस नोट
दिनांक 30.01.2024, थाना नवाबगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–26/2024, धारा 505(1)बी,506,153ए भादवि व 66 आई0टी0 ऐक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त गोलू खान उर्फ शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त गोलू खान द्वारा दिनांक 23.01.2024 को अपनी इन्स्टाग्राम आई0डी0 (golu_khan_01) से हिन्दू धर्म की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक फोटो/वीडियों वायरल किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.01.2024 को वादी विशाल सिंह पुत्र राम सिंह नि0 मोहल्ला कहरान कस्बा नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 30.01.2024 को थाना नवाबगंज के अति0 प्र0नि0 राधेश्याम यादव द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त गोलू खान उर्फ शाह आलम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल आईफोन एक्स0आर0 बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गोलू खान उर्फ शाह आलम द्वारा अपनी इन्स्टाग्राम आई0डी0 (golu_khan_01) से हिन्दू धर्म की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक फोटो/वीडियों वायरल करने की बात को स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गोलू खान उर्फ शाह आलम पुत्र स्व0 खुर्शीद अली नि0 मोफिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–26/2024, धारा 505(1)बी,506,153ए भादवि व 66 आई0टी0 ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद आई0फोन एक्स0आर0

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0प्र0नि0 राधेश्याम यादव थाना नवाबगंज।
02. उ0नि0 मनीष कुमार।
03. का0 देवेन्द्र गुप्ता मय टीम।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.01.2024, थाना को0 देहात</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना को0 देहात की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से 5,000/– फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को सहृदय से दिया धन्यवाद–</u>

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना को0 देहात की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि 5,000/– (पांच हजार रूपये) पीड़ित के खाते में वापस करवाया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
थाना को0 देहात क्षेत्र के अन्तर्गत लालनगर के रहने वाले आवेदक रिंकू द्वारा थाना को0 देहात में गठित साइबर हेल्प डेस्क पर साइबर फ्रॉड के माध्यम से उनके खाते से 5,000/– रूपये कट जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रवीण मिश्रा द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ित के 5,000/– की वापसी करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नोट– साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल–112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.01.2024,</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने 02 व थाना खरगूपुर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।